न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /12/2023

1—दारासिंह ।
2—शीशराम । पिसरान मानसिंह जातियान गुर्जर निवासीयान ग्रांम जाटोलीघना
3—रामवीर । तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर
2—नगर विकास न्यास,भरतपुर जरिए सचिव नगर विकास न्यास,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 686 दिनांक 9.3.2021 तहसीलदार भरतपुर,

उपस्थित :—
1—श्री दीपक शर्मा , अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार, रेस्पो

निर्णय **दिनांक 03.07.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश दिनांक 09—03—2021 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 686 आदेश दिनांक 09—03—2021 में नामान्तकरण दर्ज किया जाकर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। तहसीलदार भरतपुर की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई, तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 770/1.07, 774/0.25, 775/0.58, 778/0.19, 780/0.26, 781/0.01, 782/0.26, 783/0.18, 784/0.31 कुल किता 9 रकवा 3.11 है ग्रांम जाटौली घना तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिस पर अपीलान्टान का पूर्ण कब्जा है , अपीलान्ट के पक्का मकान भी बना हुआ है चारों ओर बाउन्ड्री हो रही है। तहसीलदार रेस्पो न. 1 ने बिना कोई सूचना दिये बिना कोई नोटिस दिये रेस्पो02 नगर विकास न्यास के हक में नामान्तकरण संख्या 686 स्वीकार कर दिया है। योग्य अभिभाषक का यह कहना है कि अपीलान्टस की खातेदारी के नम्बरान मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी का मुआवजा राशि एवं पट्टे आज तक नहीं मिले हैं। भू—माफिया आकर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्टान को धमकाते हैं कि जमीन खाली करो जमीन हमने रेस्पो0 नगर विकास न्यास से अपने नाम कराली है। जब कि अपीलान्टान एवं रेस्पो02 के हक में कभी भी किसी प्रकार की लिखित व मौखिक सहमति नही दी है। अपीलान्टान को विवादित नामान्तकरण संख्या 686 की जानकारी दिनांक 8.3.2023 को आपत्तियां पेश करने से पूर्व नही हो सकी। अपीलान्ट संख्या 3 रामवीर दिनांक 20.3.23 एवं 24.3.23 को नगर विकास न्यास कार्यालय गया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई तथा विवादित नामान्तकरण की नकल पटवारी हल्का से लेकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई हैं। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश क्रमांक/नियमन/2020/762 दिनांक 24.12.2020 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। अगर अपीलाट को कोई आपत्ति थी उसे नगर विकास न्यास भरतपुर के उक्त आदेश के खिलाफ चाराजोही करनी चाहिये थी। तहसीलदार ने नगर विकास न्यास के आदेश की पालना की है। अस्तु अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गोर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 686 ग्रांम जाटोली घना का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण में अंकित नोट से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण नगर विकास न्यास भरतपुर के आदेश क्रमांक/नियमन/2020/762 दिनांक 24.12.2020 की पालना में खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। अगर अपीलान्ट को विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति थी तो उसे नगर विकास न्यास भरतपुर के यहॉ चाराजोही करनी चाहिये थी। तहसीलदार भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 03–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर